

जारी

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन-77/2025
अनवान सोनाराम बगाम केशरलाल वगैरा

नम्बर व ताराख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

22.12.2025

प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 13 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 13 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नहीं किया गया अतः विप्रार्थी संख्या 13 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : रा.आ./2025/741

दिनांक : 22.12.25

प्रार्थी
सोनाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट
निवासी भोजासर तहसील बायतु, जिला
बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थी
केशरलाल पुत्र हड्डुमानराम जाति जाट
निवासी भोजासर तहसील बायतु, जिला
बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 77/2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा भोजासर पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 565/57, 567/27 रकबा क्रमशः 9.1336, 2.1843 हैक्टियर व मौजा मूंदों का डेर पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 574/108 रकबा 5.2504 हैक्टियर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

(कल्पित शिवरान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : रा.आ./2025/742-747

दिनांक : 22.12.25

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. भु-अभिलेख निरीक्षक नगोणी धतरवालों की ढाणी।
3. पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी सोनाराम पुत्र खेमाराम
5. विप्रार्थी केशरलाल पुत्र हड्डुमानराम वगैरा 48
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु